

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 330] No. 330] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939

#### भारतीय रिज़र्व बैंक

#### अधिसूचना

मुम्बई, 11 अगस्त, 2017

# प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमावली, 2017

- सं. बीबीआर.सीआईडी. सं. 786/20.16.050/2017-18.—प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 30) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमावली, 2006 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं।
  - 1. लघु शीर्षक और आरंभ
- (1) इन विनियमों को प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहा जाएगा।
- (2) ये आधिकारिक गज़ट में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. विनियम 3 का संशोधन
- प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमावली. 2006 के विनियम 3 में.
  - (i) "निम्नलिखित कंपनियों" के स्थान पर "निम्नलिखित व्यक्तियों" शब्द रखे जाएंगे।
  - (ii) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, नामतः
    - "(ज) इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जैसा कि दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम 31) में परिभाषित किया गया है
    - (झ) दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का अधिनियम 31) के तहत नियुक्त समाधान व्यावसायिक (Resolution Professional), उस कॉर्पोरेट कर्जदार की ऋण सूचना के संबंध में, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।"

सुदर्शन सेन, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./181/17]

फुटनोट : प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियमावली, 2006 को सा.का.िन. 754(अ), दिनांक 14 दिसंबर 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया।

5296 GI/2017 (1)

## RESERVE BANK OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 11th August, 2017

### THE CREDIT INFORMATION COMPANIES (AMENDMENT) REGULATIONS, 2017

**No. BBR.CID. No. 786/20.16.050/2017-18.**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 (Act 30 of 2005), the Reserve Bank of India hereby makes the following regulations, to amend the Credit Information Companies Regulations, 2006.

- 1. Short title and commencement
- (1) These regulations may be called the Credit Information Companies (Amendment) Regulations, 2017.
- 2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
- 2. Amendment of regulation 3
- In the Credit Information Companies Regulations, 2006, in regulation 3,
  - for the words 'following companies', the words 'following persons' shall be substituted
  - (ii) after clause (g), the following shall be inserted, namely,
    - "(h) an information utility as defined in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Act 31 of 2016)
    - (i) a resolution professional appointed under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Act 31 of 2016), in so far as the credit information of the corporate debtor, in respect of which he has been so appointed."

SUDARSHAN SEN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./181/17]

**Footnote :** The Credit Information Companies Regulations, 2006 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide GSR 754(E), dated 14th December, 2006.